

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत सुरेन्द्र तुरी पिता करिवा तुरी और मोहन तुरी पिता कमल तुरी निवासी ग्राम: केदला, थाना: माण्डू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: केदला, थाना सं: 160, (रियाती) खाता सं. 15 के अधीन प्लॉट सं. 951 (पी), 955, 959, 960 और 962 कुल रकबा - 4.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: केदला, (रियाती) खाता सं. 15 के अधीन प्लॉट सं. 951 (पी), 955, 959, 960 और 962 कुल रकबा - 4.00 एकड़ के तहत सुरेन्द्र तुरी पिता करिवा तुरी और मोहन तुरी पिता कमल तुरी निवासी ग्राम: केदला, थाना: माण्डू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

राजीव
११/०१/१८

General Manager (L&R),
CCL